

दिनांक 02.11.2018 को आहूत विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही

कार्य का नाम- Selection of Consultant for Road Safety Audit

उपस्थिति:-

1. विनय कुमार, सचिव।
2. ई0 सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख।
3. संजय कुमार, आंतरिक वित्तीय सलाहकार।
4. प्रवीण कुमार ठाकुर, मुख्य अभियंता-4।

आज दिनांक 2.11.2018 को आहूत तकनीकी बीड समिति की बैठक में Road Safety Audit हेतु Consultant के लिए आमंत्रित EOI में 09 (नौ) निविदाकार के द्वारा भाग लिया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैं:-

1. Eptisa JV With ITE
2. Monarch Surveyors & Engineering Pvt. Ltd. JV With P.N Sidhore Civil Engineers Pvt. Ltd. And Project Design & Value Engineering Consultancy Pvt. Ltd.
3. Manglam Associates JV With Aftech Engineering
4. Chaitanya Projects Consultancy Pvt. Ltd.
5. Infrastructure Development Consultants
6. CASTA Engineers Pvt. Ltd JV With MA Solutions Pvt. Ltd.
7. LEA Associates South Asia Pvt. Ltd. India
8. M/S Arkitechno Consultants (India) Pvt. Ltd.
9. URS Scott Wilson India Private Limited JV AECOM & Deloitte

उपरोक्त निविदाकारों के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड समिति की बैठक में विचार किया गया। सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. **Eptisa JV With ITE** :- इनके द्वारा समर्पित EOI, को न्यूनतम वांछित अर्हता पूर्ण करने के आलोक में योग्य किया जाता है।
2. **Monarch Surveyors & Engineering Pvt. Ltd. JV With P.N Sidhore Civil Engineers Pvt. Ltd. And Project Design & Value Engineering Consultancy Pvt. Ltd** :- इनके द्वारा समर्पित EOI, में निर्धारित अनुभव से संबंधित कागजात संलग्न नहीं रहने के कारण EOI की कंडिका 3(b) के प्रावधानों के आलोक में अयोग्य किया जाता है।


02.11.18


सचिव


अभियंता प्रमुख


मुख्य अभियंता-4


3. **Manglam Associates JV With Aftech Engineering**:- इनके द्वारा समर्पित EOI, में वार्षिक Turn Over 10 करोड़ से कम होने के कारण EOI की कंडिका 3(a) के प्रावधानों के आलोक में अयोग्य किया जाता है।
4. **Chaitanya Projects Consultancy Pvt. Ltd.**:- इनके द्वारा समर्पित EOI, को न्यूनतम वांछित अर्हता पूर्ण करने के आलोक में योग्य किया जाता है।
5. **Infrastructure Development Consultants** :- इनके द्वारा समर्पित EOI, में वार्षिक Turn Over 10 करोड़ से कम होने के कारण EOI की कंडिका 3(a) के प्रावधानों के आलोक में अयोग्य किया जाता है।
6. **CASTA Engineers Pvt. Ltd JV With MA Solutions Pvt. Ltd.**:- इनके द्वारा समर्पित EOI, में वार्षिक Turn Over 10 करोड़ से कम होने के कारण EOI की कंडिका 3(a) के प्रावधानों के आलोक में अयोग्य किया जाता है।
7. **LEA Associates South Asia Pvt. Ltd. India**:- इनके द्वारा समर्पित EOI, को न्यूनतम वांछित अर्हता पूर्ण करने के आलोक में योग्य किया जाता है।
8. **M/S Arkitechno Consultants (India) Pvt. Ltd.**:- इनके द्वारा समर्पित EOI, को न्यूनतम वांछित अर्हता पूर्ण करने के आलोक में योग्य किया जाता है।
9. **URS Scott Wilson India Private Limited JV AECOM & Deloitte**:- इनके द्वारा समर्पित EOI, को न्यूनतम वांछित अर्हता पूर्ण करने के आलोक में योग्य किया जाता है।

  
(अशोक कुमार दूबे)  
नोडल पदाधिकारी  
सड़क सुरक्षा।

  
(संजय कुमार)  
विशेष सचिव-सह-  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

  
(प्रवीण कुमार ठाकुर)  
मुख्य अभियंता-4  
ग्रामीण कार्य विभाग

  
(सुभाष चन्द्र)  
अभियंता प्रमुख  
ग्रामीण कार्य विभाग

  
(विनय कुमार)  
सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग